संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./अस्प.प्रशा./2021/328 भोपाल/दिनांक 12.04.2021

प्रति,

1. **क्षेत्रीय संचालक,**
   मध्यप्रदेश।
2. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,**
   विदिशा,शहडोल,रतलाम,खण्डवा,दतिया,शिवपुरी,छिन्दवाड़ा,
   मध्यप्रदेश।

विषयः– Remdisivir Injection की उपलब्धता के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में COVID-19 Emergency को देखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि आपातकालीन उपयोग हेतु प्रतिदिन Injection Remdisivir की निर्धारित मात्रा जिला चिकित्सालय के आई.सी.यू में भर्ती मरीजों के उपयोग हेतु निम्न दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्राप्त कर वितरित किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. जिन जिलों पर चिकित्सा महाविद्यालय है ऐसे जिलों में Injection Remdisivir की प्राप्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय से की जा सकेगी, तथा उसका उपयोग भी उसी जिले में किया जावेगा।
2. ऐसे संभागीय जिले जहां पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है ऐसे जिलों में क्षेत्रीय संचालक, स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय से Injection Remdisivir प्राप्त कर अपने संभाग के ऐसे जिलों में जहां चिकित्सा महाविद्यालय स्थित नहीं है में वितरित करेंगे।
3. इन्दौर क्षेत्रीय संचालक, प्राप्त मात्रा का 40 प्रतिशत उज्जैन क्षेत्रीय संचालक को प्रदाय करेगें।

(अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)

संचालक (अस्प. प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

पृ.क्र./अस्प.प्रशा./2021/329 भोपाल/दिनांक 12.04.2021

प्रतिलिपिः–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. समस्त अधिष्ठाता, मेडिकल कालेज की ओर लेख है कि प्रतिदिन संबंधित संयुक्त संचालक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनकी आवंटित मात्रा आवंटित करना सुनिश्चित करें।

संचालक (अस्प. प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल